



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एरा.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email id: dlr.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141 2227033

क्रमांक: एफ 61(350)SSAAT/लोकपाल चयन/2024-25 पार्ट-7/1383

जयपुर, दिनांक 25/08/2025

जिला कलेक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस),
जिला अजमेर, अलवर, करौली एवं टोंक।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत लोकपाल पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरान्त पात्र आवेदन पत्र भिजवाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 17291613 दिनांक 21.08.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 20.03.2023 के अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त होने वाली विभिन्न शिकायतों एवं अभाव अभियोग के निराकरण आदि की प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 21.08.2025 को विज्ञप्ति जारी कर 04 जिलों में लोकपाल पद हेतु योग्य आवेदकों से दिनांक 22.09.2025 तक आपके कार्यालय के माध्यम से आवेदन पत्र चाहे गये हैं।

उक्त विज्ञप्ति की पालना में आपके कार्यालय में दिनांक 22.09.2025 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का विज्ञप्ति में वर्णित योग्यता के क्रम में आपके कार्यालय स्तर से परीक्षण के बाद पात्र पाए गए आवेदकों के आवेदन प्रपत्र के "भाग य" की पूर्ति कर निर्धारित तिथि दिनांक 08.10.2025 तक निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT), कमरा न. 8322, उत्तर पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को डाक अथवा विशेष वाहक के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

यह ध्यान रहे कि आपके कार्यालय स्तर से निर्धारित तिथि दिनांक 08.10.2025 के बाद भिजवाये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्न:-

1. विज्ञप्ति क्रमांक 17291613 दिनांक 21.08.2025 एवं भारत सरकार गार्डलाईन 20.03.2023

(श्रेया गुहा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान

जयपुर, दिनांक: 25/08/25

क्रमांक: एफ 61(350)SSAAT/लोकपाल चयन/2024-25 पार्ट-7/1384

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ईजीएस) अजमेर, अलवर, करौली एवं टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी
राजस्थान, जयपुर